न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 33 / 2023
अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर।

प्रार्थी / सायल

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन केहरवाला तहसील टिब्बी (हनुमानगढ)
2. देवीलाल पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन केहरवाला तहसील टिब्बी
3. बलराम पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन केहरवाला तहसील टिब्बी
4. रणजीत पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन केहरवाला तहसील टिब्बी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायल

6. राजेश पुत्र राममूर्ति जाति जाट साकन वार्ड संख्या 6 नोहर तहसील नोहर।
7. सुमन देवी पत्नी राधेश्याम जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, सायल
श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक : 19/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 51 / 47 के खसरा न0 528 / 1 की 10.3100हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 389 / 1031 हिस्सा , तरतीबी अप्रार्थी संख्या 6 का 389 / 1031 हिस्सा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 7 का 253 / 1031 हिस्सा के सहखातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 136 / 131 के खसरा न0 530 / 1 की 1.0250हैक भूमि खसरा न0 821 / 528 की 3.4910हैक कुल 4.5160हैक भूमि स्थित है जिसमें अपार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1 / 4 , 1 / 4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ,3 ने अपने खेत में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के खसरा न0 821 / 528 में से होकर अपने खेत में से प्रवेश करता है यही खते में से आने जाने हेतु सबसे सुविधाजनक रास्ता है।

प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन करने हेतु सबसे सुविधाजनक एवं अत्याधिक नजदीक रास्ता है परन्तु रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत होकर दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी के आने जाने में बाधा उत्पन्न करते है इसलिये प्रार्थी / सायल उपरोक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई मर्तबा कहा की सदामत से चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेने तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः सायल /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 136 / 131 के खसरा न0 821/528 [illegible] 3.4910हैक भूमि में पश्चिम से पूर्व की तरफ दो –दो गठठा रास्ता स्वीकार [illegible] दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल / प्रार्थी का [illegible] होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान / अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन / नोटिस तलब किया गया [illegible] संख्या 4 ,5 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

पक्षिय कार्यवाही की गई अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 ,7 अपने खेतो में आवागमन करने हेतु खसरा न0 523／1 में से होकर मुख्य पक्की रोड पर पहुचते है अप्रार्थीगण के खेत में कोई रास्ता नही है और ना ही उन्होने इस खसरा न0 821／528 को उपयोग उपभोग एवं आवगमन करते हेतु किया है पटवारी हल्का ने खसरा न0 821／528 में पगडडी दर्शाई गई है जो दुरभी संधी के कारण अंकित की गई है प्रार्थी ने अपने खेत के लिये जो रास्ता चाहा गया है वह 6 बीधा लम्बा रास्ता है जबकि प्रार्थी को अपने नियमित रास्ते जो कि खसरा न0 523／1 से होकर पक्की सडक पर निकलता हे केवल मात्र 1 बीधा दुरी पर है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खसरा न0 821／528 से जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहा है जो विधि विरूद्व है नियमानुकुल नही है।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि मे से केवल रास्ते की मांग केवल हेरान परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकी प्रार्थी को सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता पूर्व से ही प्राप्त है जिसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण का जबाब शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ,3 ने अपने खेत में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के खसरा न0 821／528 में से होकर अपने खेत में से प्रेवश करता है यही खते में से आने जाने हेतु सबसे सुविधाजनक रास्ता है।

प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन करने हेतु सबसे सुविधाजनक एवं अत्याधिक नजदीक रास्ता है परन्तु रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत होकर दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी के आने जाने में बाधा उत्पन्न करते है इसलिये प्रार्थी／सायल उपरोक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता लगभग 6 बीधा है जबकि अन्य खसरा न0 523／1 मे से होकर प्रार्थी को 1 बीधा में ही रास्ता उपलब्ध हो सकता है जो मुख्य पक्की सडक पर पहुच सकता है तथा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में पगंडडी अंकित की गई है वह विधि विरूद्व दुरभी संन्धी के आधार पर अंकित की गई है अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थी ने कभी भी आवागमन नही किया गया है ना ही किसी प्रकार की कोई पंगडडी है प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन करने हेतु खसरा न0 523／1 में रास्ता उपलब्ध है जिससे आवागमन हो रहा है यही सबसे सुविधाजनक रास्ता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 51／47 के खसरा न0 528／1 की 10.3100हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 389／1031 हिस्सा , तरतीबी अप्रार्थी संख्या 6 का 389／1031 हिस्सा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 7 का 253／1031 हिस्सा के सहखातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 136／131 के खसरा न0 530／1 की 1.0250हैक भूमि खसरा न0 821／528 की 3.4910हैक [illegible]60हैक भूमि स्थित है जिसमें अपार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1／4 [illegible] के खातेदार काश्तकार है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है।

सायल／प्रार्थी का कथन है कि उस [illegible]नी खातेदारी भूमि रोही मोजा खुईया के खसरा न0 528／1 में गेरसायल के खसरा न0 821／528 की भूमि में से होकर आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (...)

कर रहा है इस रास्ता को स्वीकार करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता 6 बीधा लम्बा चाहा गया है जबकि सायल को 1 बीधा की दुरी पर पक्की सडक से रास्ता उपलब्ध हो सकता है जो सुविधाजनक व छोटा है सायलान का कथन स्वीकार योग्य नही है बल्की गैरसायलान का कथन स्वीकार योग्य है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रार्थी खसरा न0 821/528 मे से छोटी पंगडडी से आवागमन कर रहा है तथा निकटतम दुरी खसरा न0 523/2 नोहर खुइया पक्की सडक से है प्रार्थी को खसरान0 523/1 में से जाने पर कम दुरी तय करनी होगी तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित है

तहसीलदार नेाहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे अंकित पंगडडी के सम्बध में प्रशासक ग्राम पंचायत खुईया की तस्दीक पेश की गई की गैरसायलान की भूमि में कोई पंगडडी नही है तथा गैरसायलान के आस पडोस के काश्तकारो के द्वारा भी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया की गैरसायलान की भूमि मे कोई पंगडडी नही है अर्थात मौका रिपोट में पंगडडी सहवन से अंकित किया जाना पाया जाता है जिसका कोई महत्व प्रतीत नही होता है।

मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान का खेत खसरा न0 821/528 में से है जिसके एक और खसरा न0 529 जो स्वीकृत रास्ता है तथा खसरा न0 523/2 जो नोहर खुईया सडक है जो खसरा न 523/1 के चिपती हुई जा रही है सायलान का खेत खसरा न0 523/2 पक्की सडक से मात्र एक बीधा की दुरी पर है तथा सायलान ने खसरा न0 529 से खसरा न0 528/1 में जाने के लिये गेरसायलान के खेत 821/528 में से चाहा गया है जो 6 बीधा दुरी पर है अर्थात सायलान को जब एक बीधा की दुरी पर पक्की सडक से रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो 6 बीधा दुरी से रास्ता मांगने का क्या औचित्य है स्पष्ट नही किया जब सायलान को छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो अधिक लम्बा रास्ता की मांग किया जाना न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है जो दिया जाना न्यायोचित है किन्तु सायलान ने खसरा न0 529 मे स्वीकृत रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि खसरा न0 528/1 में पहुचने के लिये 6 बीधा की दुरी पर खसरा न0 821/528 में से रास्ता चाहा गया है जबकि सायलान को खसरा न0 523/2 जो नोहर खुईया पक्की सडक से खसरा न0 523/1 में एक बीधा दुरी पर रास्ता उपलब्ध हो सकता है जब सायलान को छोटा एव मुख्य सडक से रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो बिना किसी आधार के लम्बा व औचित्यहिन 6 बीधा लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है ना ही सायलान ने सभी तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है अर्थात सायलान क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आये है सायलान को छोटा एव सुविधाजनक पक्की सडक से रास्ता उपलब्ध होते हुए भी लम्बा रास्ते की मांग किया जाना विधि सम्मत नही है सायलान प्रश्नगत रास्ता स्वीकार करवाने के अधिकारी नही है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/05/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)